



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 43]

नई दिल्ली, अक्टूबर 21—अक्टूबर 27, 2012, शनिवार/आश्विन 29—कार्तिक 5, 1934

No. 43]

NEW DELHI, OCTOBER 21—OCTOBER 27, 2012, SATURDAY/ASVINA 29—KARTIKA 5, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं।)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

### विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2012

सा.का.नि. 257.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत मंत्रालय में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

### अनुसूची

| पद का नाम  | पद संख्या   | वर्गीकरण   | वेतन बैंड और<br>ग्रेड वेतन या<br>वेतनमान                       | चयन अथवा<br>अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों<br>के लिए आयु-सीमा |
|--|---|--|--|---------------------|--|
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)  | (5)                 | (6)  |
| पुस्तकालय<br>और सूचना<br>सहायक<br>आधार पर<br>परिवर्तन किया<br>जा सकता है । | 1* (2012)<br>*कार्यभार के<br>सेवा, समूह 'ख',<br>अराजपत्रित,<br>अनुसूचित<br>वर्गीकरण<br>की अवधि<br>यदि कोई व्यक्ति<br>जो इन नियमों<br>के लिए उपबंध<br>करना अपेक्षित<br>है, तो वह उसके<br>लिए आयु-सीमा<br>नहीं होता | साधारण केन्द्रीय<br>सेवा, समूह 'ख',<br>अराजपत्रित,<br>अनुसूचित<br>वर्गीकरण<br>की अवधि<br>यदि कोई व्यक्ति<br>जो इन नियमों<br>के लिए उपबंध<br>करना अपेक्षित<br>है, तो वह उसके<br>लिए आयु-सीमा<br>नहीं होता | वेतन-बैंड-2,<br>9300—<br>34800 रु. +<br>ग्रेड वेतन<br>4200 रु. | लागू नहीं होता      | लागू नहीं होता   |

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक  
और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले  
व्यक्तियों के लिए विहित आयु  
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्त  
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी  
या नहीं

परिवेश की अवधि,  
यदि कोई हो

| (7)            | (8)            | (9)                                  |
|----------------|----------------|--------------------------------------|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्त व्यक्तियों के लिए<br>दो वर्ष |

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्ति द्वारा या  
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी  
जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्ति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्ति/  
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

| (10)  | (11)  |
|---|---|
| संयुक्त पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति और प्रोन्ति) | संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति और प्रोन्ति): |

ऐसे विभागीय पुस्तकालय लिपिक पर, जिन्हें वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु.  
+ ग्रेड वेतन 1900 रु. की श्रेणी में 13 वर्ष नियमित सेवा की है, भी बाहरी  
व्यक्तियों के साथ विचार किए जाएंगे । यदि विभागीय पुस्तकालय लिपिक का  
चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्ति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

**टिप्पणि :** प्रोन्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के  
प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले/उस तारीख से,  
जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन

(11)

संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

#### प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी,—

- (क) (i) जो मूल काडर या संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है; या
- (iv) जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री हो और जिन्होंने मूल काडर/विभाग में तेरह वर्ष सेवा की है तथा वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. या समतुल्य में पद धारण किए हुए हैं; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

#### (i) आवश्यक :

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में बैचेलर डिग्री; या
- (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचेलर डिग्री।

#### (ii) वांछनीय :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में दो वर्ष के वृत्तिक अनुभव; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्ति की सीधी पर्कित में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी/किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अर्तम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

**टिप्पणि :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोनंति समिति है, तो उसकी संरचना

(12)

लागू नहीं होता

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 9/4/2009-प्रशा. II]

पी. पी. बोस, अवर सचिव